


रिपोर्ट के तहत व नू-अभिलेख विरीकरण श्रीमानजी विवेकलाल की

राज्य सरकार शासकीय कृषि की जमाबंदी (काल, १९५५-५६ के खालास, १६९  
शर्मा का नाम सुरेन्द्र पुत्र जयराम एवं श्रीमती देवकी देवी आरामपुर; पश्चिम  
में सुरेन्द्र कुमार पुत्र जयराम है जाम आम में सुदलाह इतने पर सुरेन्द्र पुत्र  
जयराम एवं सुरेन्द्र कुमार पुत्र जयराम एक ही दफ्तर के जामनामा जमा था।  
सुरेन्द्र पुत्र जयराम के दफ्तर पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र जयराम शुद्ध किमा-जाम उचित है।


Abhishek  
Tahsil Dar  
03/06/23

  
3-6-23

राज्य सरकार के रिपोर्ट तहसीलदार-2023


तहसीलदार/नायब तहसीलदार-

श. ए. व. र कति की रिपोर्ट के आधार पर  
अनुसार की जादी है

  
03/06/23  
तहसीलदार  
मुन्डान

आदेश

तहसीलदार मुन्डान की अभिलेखा के अनुसार सुरेन्द्र पुत्र  
जयराम के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र जयराम सुदलाह  
करने के आदेश दिये जाते हैं। जोकि जमाबंदी सुदलाह  
रहेगी।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मुन्डान (गा.)